Result Mitra

मूल अधिकार
Fundamental Right

THE CONSTITUTION OF INDIA
PREAMBLE
CONSTITUTION OF INDIA

Article : 21 Right to Life and Personal Liberty

विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (Procedure Established by Law) के अनुसार ही किसी व्यक्ति को उसके जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है।

मुद्दे से जुड़े प्रमुख वाद (Important Cases)

Case Name	Coutr's Decision
A.K. Gopalan Case (1950)	❑ कोर्ट द्वारा संकुचित व्याख्या। ❑ कोर्ट के अनुसार अनच्छेद 21 के भीतर सिर्फ मनमाने कार्यपालिका के कार्य के विरूद्ध अधिकार प्राप्त है, विधायिका के विरूद्ध नहीं। ❑ विधायिका विधि बनाकर जीवन के अधिकार एवं दैहिक स्वतंत्रता समाप्त कर सकती है।

Case Name	Coutr's Decision
ADM Jabalpur v/s SHIVKANT SHUKLA case/ Habeous Corpus case (1976)	☐ कोर्ट के इतिहास का सबसे विवादित फैसलों में से कोई एक ☐ विशेष परिस्थितियों में Article 21 भी छीना जा सकता है। (आपातकाल में)
मेनका गांधी वाद (1978)	☐ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के स्थान पर विधि की उचित प्रक्रिया की संकल्पना का प्रयोग (Due Proces of Law) ☐ जीवन का अधिकार एवं स्वतंत्रता का अधिकार (Art-19) एक-दूसरे के पूरक हैं।

Procedure Established by Law	Due Proces of Law
❑ जापान के संविधान से लिया गया है परंतु ब्रिटिश संकल्पना। ❑ यह सिर्फ कार्यपालिका को मनमाना चरित्र अपनाने से रोकता है, विधायिका को नहीं। ❑ नहीं। ❑ न्यायिक पुनरावलोकन की सीमित दायरा क्योंकि कोर्ट की नजर विधि निर्माण की प्रक्रिया पूरी होने तक ही है।	❑ अमेरिकी संकल्पना ❑ विधायिका $ कार्यपालिका ❑ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अनुपालन ❑ विधि तार्किक, युक्तियुक्त एवं औचित्यपूर्ण होनी चाहिए। ❑ Judicial Review Broad

अनुच्छेद-21

न्यायालय द्वारा सबसे अधिक व्याख्यापित अनुच्छेद है। इसमें सिर्फ सांस लेना ही जीवन के अधिकार में शामिल नहीं, अपितु जीवन के विभिन्न आयामों सुखद अनुभव हो, इसकी परिधि में शामिल हैं। अतः न्यायालय ने जीवन के अधिकार के भीतर अन्य महत्वपूर्ण अधिकारों की व्याख्या की है जो निम्नलिखित है:-

अधिकार	महत्वपूर्ण वाद तथा तथ्य
❑ 1. निजता का अधिकार	❑ K.S. Puttaswami case (2018)
❑ 2. शिक्षा का अधिकार	❑ Mohini Jain v/s State of Karnataka (1992) ❑ 86th CAA (2002) ❑ Article 21 (A) Added ❑ 6-14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा
❑ 3. विदेश जाने का अधिकार	❑ Menaka Gandhi Case (1978)
❑ 4. आजीविका का अधिकार	❑ Olga Telis v/s BMC (1985)
❑ 5. इच्छामृत्यु (Euthnasia) का अधिकार	❑ Gyan Kaur v/s Punjab State ❑ मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं ❑ अरूणा शानबाग वाद

अधिकार	महत्वपूर्ण वाद तथा तथ्य
❑ 6. चिकित्सा सहायता प्राप्त करने का अधिकार	❑ परमानंद कटारा वाद
❑ 7. सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान निषेध	❑ मुरली देवरा v/s UOI
❑ . प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का अधिकार	❑ M.C. Mehta Case

अनुच्छेद - 22

- गिरफ्तारी और निवोध से संरक्षण का अधिकार (Protection Agains Arrest and detention in Certain Cases)

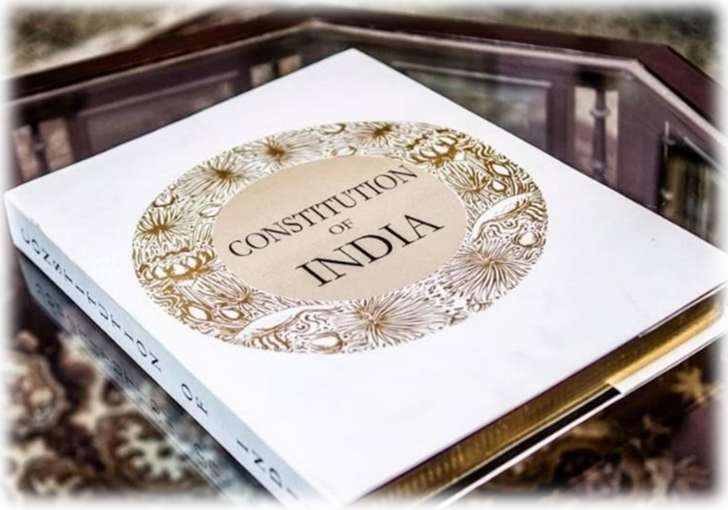

Article 22 (1)

- गिरफ्तारी से पहले व्यक्ति को कारण बताना होगा।
- अपनी पसन्द के विशेषज्ञ/वकील से सलाह/चर्चा करने का अधिकार
- 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा परंतु इसके यात्रा में लगे समय को शामिल नहीं किया जाएगा।

Article 22 (2)

- किसी बंदी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक समय तक तभी रखा जाएगा जब मजिस्ट्रेट ने अग्रिम अनुमति दी हो।

Article 22 (3)

- यह अधिकार Enemy Alien (विदेशी शत्रु) तथा Preventive Detention के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को उपलब्ध नहीं।

CONSTITUTION
OF
INDIA

Preventive Detention (निवारक निरोध)	Punitive Detention (दंडात्मक जनरबंदी)
☐ अपराध से पहले, संदेह के आधार पर ☐ यह प्रावधान नहीं	☐ अपराध के बाद ☐ इसके अंतर्गत व्यक्ति को पुलिस केवल 24 घंटे के लिए बंदी बना सकती है।

Article 22 (4) - 22 (7) - Right Under Preventive Detention

Maximum - 3 महीना

↓

अधिक समय के लिए

↓

सलाहकार बोर्ड की अनुमति

↓

अध्यक्ष - उच्च न्यायालय के न्यायाधीश समकक्ष् योग्यता

☐ बंदी को आधार बताना पड़ेगा।

- ❑ **नोट : Preventive Detention पर कानून संसद और विधानसभा दोनों बना सकती है परंतु Defence, विदेशी मामले और भारत की सुरक्षा से संबंधित मामले पर केवल संसद कानून बना सकती है।**

विभिन्न निवारक निरोध कानून

1. Preventive Detention Act (निवारक निरोध अधिनियम, 1950) - 1969 में समाप्त
2. Maintenance of Internal Security Act, (MISA Act) (आंतरिक सुरक्षा कानून, 1971) - 1978 में समाप्त
3. Conservation of Foreign Exchange & Preventive of Smuggling activities Act (COFEPOSA), 1974 (विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारक अधिनियम)

PREVENTIVE DETENTION

4. National Security Act (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 1980) - निरस्त
5. Terrarist & Disruptive Activities (Prevention) Act (TADA) (आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधि निवारक अधिनियम 1985) - निरस्त
6. Prevention of Terrorism Act, 2002 (POTA) (आतंकवाद निवारक अधिनियम) - 2004 में निरस्त
7. Unlawful Activities Prevetion Act (UAPA, 1967) - 2008 में संशोधन - 2919 में संशोधन

NSA
NATIONAL SECURITY ACT
1980

शोषण के विरूद्ध अधिकार (Right against Exploitation)

- ☐ Article 23 - मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निरोध
- ☐ Article 24 - 14 वर्ष से कम आये के बच्चों का कारखाना, खान तथा अन्य खतनाक काम करने का प्रतिषेध।

RIGHT AGAINST
EXPLOITATION

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (Article 25-28)

धार्मिक स्वतंत्रता

शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा/उपासना में प्रतिबन्ध (A-28)

धर्म को मानने, आचरण करने व प्रचार प्रसार करने तथा अंत:करण की स्वतंत्रता (A-25)

विशेष धर्म सी अभिवृद्धि के लिए कर नहीं देने की स्वतंत्रता (A-27)

धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की आजादी (A-26)

नोट - A-28(1) राज्य द्वारा निर्मित एवं पूर्णतः वित्तपोषित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध

- A-28 (2) - ऐसे शिक्षण संस्थाएँ जो राज्य द्वारा मान्यता एवं अनुदान प्राप्त हो, तो धार्मिक शिक्षा छात्र/छात्रा की सहमति के पश्चात दी जाएगी।
- A-28 (3) - ट्रस्ट द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है।

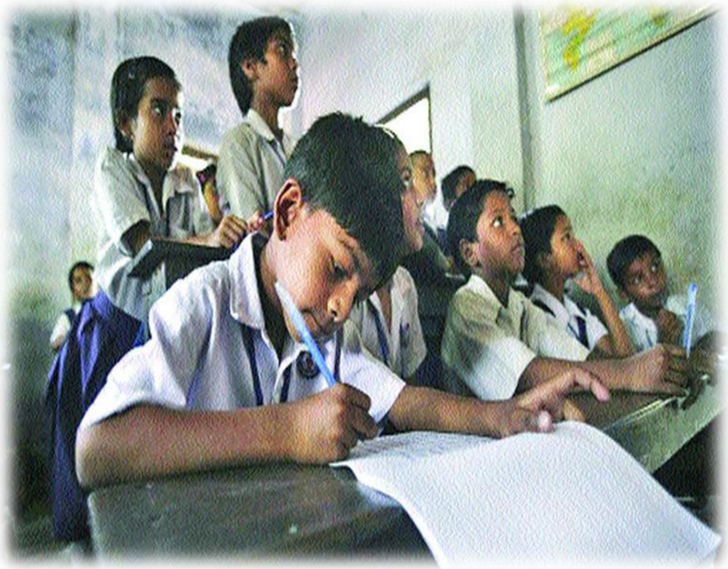

अल्पसंख्यकों के शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार (A 29-30)

Right to
Education
Act

- ☐ भारतीय संविधान में भाषायी एवं धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों की चर्चा की गई।
- ☐ परंतु अल्पसंख्यक को कही भी परिभाषित नहीं किया गया है।
- ☐ यह अधिकार भी सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है।

- A-29 (1) - भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशेष भाषा व लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है।
- A- 29 (2) - किसी भी नागरिक को धर्म, भाषा, मूलवंश, जातिय आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश देने में भेदभाव नहीं किया जाएगा।
- Article 30 - अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों एवं प्रबंध का अधिकार।

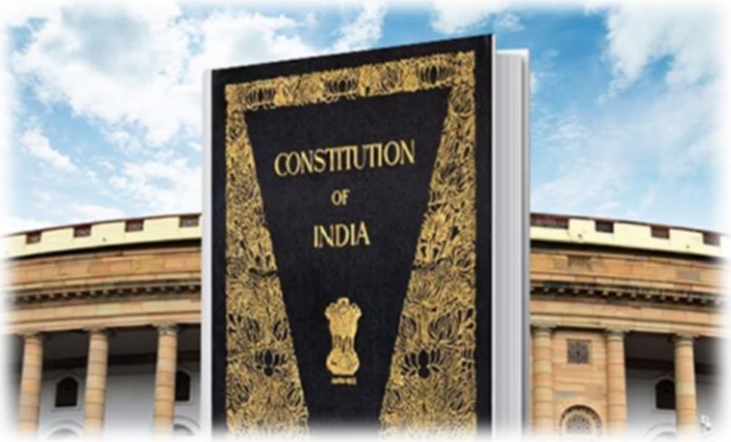
CONSTITUTION
OF
INDIA